वन विभाग, हरियाणा
आवश्यक सूचना
(काष्ठ आधारित उद्योग)

सर्व साधारण तथा सम्बन्धित काष्ठ आधारित उद्योगों को सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों को जो लाईसैंस जारी किए गए हैं वह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई केन्द्रीय राशक्त समिति दिल्ली द्वारा जारी निर्देशानुसार तथा वन विभाग द्वारा समय–2 पर काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए बनाई गई सूचियों को केन्द्रीय सशक्त समिति, दिल्ली द्वारा अनुमोदित करवाने उपरांत किए गए थे। इस प्रकार से काष्ठ आधारित उद्योगों को लाईसैंस जारी करने के उपरांत कई आवेदकों से नए लाईसैंस प्राप्त करने हेतु या लाईसैंसशुदा यूनिट की क्षमता बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सशक्त समिति, दिल्ली के माध्यम से राज्यस्तरीय समिति को आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे आवेदन पर सम्बन्धित आवेदनकर्ता को उस वक्त यह सूचित कर दिया गया था कि भविष्य में लकड़ी की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो केन्द्रीय सशक्त समिति, दिल्ली से बढ़ी हुई लकड़ी की मात्रा अनुमोदित करवाने उपरांत उनके आवेदन पर दोबारा से निर्णय लिया जाएगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा टी.एस.गोदावरमण बनाम भारत सरकार के केस में दिनांक 05.10.2015 को दिए गए निर्णय द्वारा भारत सरकार को निर्देश दिए गए कि वह काष्ठ आधारित उद्योगों को लाईसैंस जारी करने हेतु निर्णय लेने के लिए राज्यस्तरीय समितियों का गठन करें तथा इन उद्योगों का विनियमन करने के लिए दिशा–निर्देश जारी करें। इसकी अनुपालना में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 23.09.2016 द्वारा ''काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) दिशा–निर्देश, 2016'' को अधिसूचित कर दिया है। इसी संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा भी उनके आदेश दिनांक 07.10.2016 द्वारा राज्यस्तरीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है।

पुनर्गठित राज्य स्तरीय समिति हरियाणा को नए काष्ठ आधारित उद्योगों को लाईसैंस जारी करने तथा लाईसैंसशुदा काष्ठ आधारित उद्योगों की क्षमता में बढ़ौतरी की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकार तथा शक्तियां प्रदान की गई हैं।

चूंकि लाईसैंस जारी करने हेतु निर्णय लेने के लिए राज्यस्तरीय समिति का नए दिशा–निर्देशों के तहत पुनर्गठन हुआ है तथा लाईसैंस जारी करने की प्रकिया में पारदर्शिता लाने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि भविष्य में सभी आवेदन ऑन लाईन मोड में मंगवाई जाए। अतः नए लाईसैंस हेतु या लाईसैंसशुदा यूनिट की क्षमता बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सशक्त समिति, दिल्ली के माध्यम से या सीधे ही राज्यस्तरीय समिति को जो आवेदन किए गए उन सभी आवेदकों को इस आवश्यक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उन द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन को निरस्त समझा जाए। वह हरियाणा वन विभाग की वैबसाईट (website) पर नए लाईसैंस हेतु या लाईसैंसशुदा यूनिटों की क्षमता बढ़ाने हेतु ऑनलाईन मोड (online mode) में आवेदन दिनांक 13 फरवरी, 2017 से 15 मार्च, 2017 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्यस्तरीय समिति द्वारा काष्ठ उपलब्धता के अनुरूप निश्चित संख्या में काष्ठ उद्योगों के सभी वर्गों के लिए लाईसैंस जारी करने हैं। यह लाईसैंस ''पहले आओ–पहले पाओ'' के आधार पर जारी किए जाएंगें बशर्ते आवेदक लाईसैंस प्राप्त करने हेतु आवश्यक सभी शर्तें पूरी करता हो।

23/02/2017

मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा–I, एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा,
सी–18, वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला।